उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-58/1104/एक-1-2016-5(34)/2015

लखनऊ: दिनॉक: 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई,1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि,जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	इटेहरा	1	0.141	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					3	0.032	
3					7	0.041	
4					12	0.058	
5					14	0.028	
6					16	0.101	
7					18	0.028	
8					21	0.016	
9					22	0.028	
10					25	0.493	
11					28	0.152	

shasnadesh.up.nic.in

12					31	0.016	
13					32	0.020	
14					34	0.030	
15					36	0.053	
16					43	0.034	
17					44	0.009	
18					47	0.083	
19					56	0.031	
20					58	0.126	
21					64	0.025	
22					68	0.101	
23					72	0.072	
24					76	0.013	
25					79	0.051	
26					85	0.025	
27					86	0.064	
28					87	0.170	
29					92	0.158	
30					93	0.166	
31					102	0.746	
32					107	0.051	
33					108	0.026	
34					114	0.052	
35					117	0.030	
36					118	0.046	
37					122	0.269	
38					133 मि0	0.132	
39					134 मि0	0.019	
40					137	0.019	

shasnadeesh.up.nic.in

41					139	0.030	
42					141	0.013	
43					145	0.006	
44					147	0.017	
45					150	0.009	
46					151	0.064	
47					152	0.013	
48					162	0.071	
49					166	0.759	
50					167	0.645	
51					169	0.557	
52					170	0.060	
53					177	0.013	
54					180	0.076	
55					184	0.335	
56					193	0.023	
57					195	0.223	
58					202	0.063	
59					209	0.025	
60					210	0.276	
61					212	0.003	
62					221	0.038	
63					223	0.041	
64					226	0.043	
65					227	0.070	
66					233	0.067	
67					238	0.037	
68					241	1.720	
69					249	0.164	

shasnadeesh.up.nic.in

-4-

70					254	0.065	
71					256	0.127	
72					260	0.022	
73					265	0.069	
74					269	0.383	
75					274	0.164	
76					277	0.024	
77					280	0.031	
78					283	0.035	
79					288	0.046	
80					295	0.196	
81					301	0.038	
82					303	0.202	
83					304	0.013	
84					305	0.025	
85					316	1.276	
86					317	0.132	
87					318	0.010	
88					321	0.028	
89					322	0.028	
90					328	0.041	
91					332	0.093	
92					333	0.266	
93					337	0.132	
94					338	0.092	
95					343	0.082	
96					352	0.016	
97					366	0.025	

shasnadeesh.up.nic.in

98					374	0.025	

-5-

99					378	0.291	
100					380	0.107	
101					382	0.051	
102					389	0.046	
103					390	0.056	
104					393	0.063	
105					398	0.119	
106					406	0.431	
107					407	0.071	
108					409	0.030	
109					411	0.023	
110					416	0.007	
111					419	0.023	
112					425	0.011	
113					426	0.021	
114					429	0.051	
115					438	0.114	
116					443	0.307	
117					446	0.064	
118					449	0.455	
119					451	0.013	
120					457	0.025	
121					460	0.080	
122					469	0.156	
123					477	0.025	
124					478	0.020	
125					482	0.019	

shasnadeesh.up.nic.in

126					484	0.817	
127					489	0.302	

-6-

128					490	0.506	
129					497	0.066	
130					503	0.040	
131					508	0.187	
132					516	0.036	
133					525	0.046	
134					109/526	0.016	
135					154/527	0.012	
136					445/528	0.016	
				योग	**कुल 136 गाटा**	**17.625 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास

shashadeesh.up.nic.in

प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि

-7-

यथा-चकमार्ग, मुख्य चकमार्ग, सडक खाम, मुख्य मार्ग, रास्ता व नाली नलकूप, नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चकमार्ग, मुख्य चकमार्ग, सडक खाम, मुख्य मार्गव रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली नलकूप व नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1104(2)/एक-1-2016-5(34)/2015 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-282/डीएलआरसी/2013-14, दिनॉक 13.08.2013 के सन्दर्भ में
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

shashadeesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadeesh.up.nic.in